	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकु. उप/वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का नाम कलमजद किया जाकर उक्त भूमि को पुनः चारागाह दर्ज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

यालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

सं. 06 / 2025

एमएस न. 2025 / 20

न दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

य दिनांक 29/12/25

1. यादराम मीणा पुत्र लीला जाति मीना निवासी महरमपुर तहसील नदबई (भरतपुर)

—वादी

बनाम

1. कलुआ पुत्र मनफूल जाति जाटव निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)
2. किरन पुत्र मनोहरी जाति जाटव निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)
3. बादाम पि0 किशनलाल जाति जाटव निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)
4. रमन पि0किशनलाल जाति जाटव निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)
5. भूरी पुत्र किशनलाल जाति जाटव निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)
6. तारा पुत्र किशनलाल जाति जाटव निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)
7. प्रभू पुत्र मनोहरी जाति जाटव निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)
8. विश्राम पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)
9. रामस्वरूप पुत्र मनफूल जाति जाटव निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
11. सब रजिस्ट्रार, नदबई।

—प्रतिवादीगण असल

12. सोहनलाल पि. लीला जाति मीना निवासी महरमपुर तहसील नदबई।
13. पूरन पि. लीला जाति मीना निवासी महरमपुर तहसील नदबई।

—तर0 प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रामकिशन पूनियां एड0(वादीगण)

श्री ओमप्रकाश पाराशर एड0 (प्रतिवादीगण की ओर से)

:: **निर्णय** :: दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है—

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

के वादिनी एवं प्रतिवादीगण में से सिवाय प्रतिवादी संख्या 16 के, जो नाबालिग है जो
ाता की बली सरपरस्ती में है के सिवाय सभी वालिग व स्वस्थ चित्त है।

हाल आराजी खाता संख्या 101 के आराजी खसरा नम्बरान 310 रकवा 0.32 हैक्टे वाके
हरमपुर तहसील नदबई में स्थित है।

कि हाल बंदोवस्ती संवत 2060 में बनाये गये विवादित आराजी खसरा नं. 310 रकवा 0.32
, जिसका साबिक खसरा नं. 222 बंदोवस्त से पूर्व था। जो संवत 2028 के बंदोवस्त में
क खसरा नं0 151 रकवा 0.14 व 152 रकवा 1.07 से बनाया गया था। यह आराजी वादी के
जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिस पर वह गत 70 साल से काबिज है। जिससे
दी के अन्य खातेदारी की आराजी लगी हुई है।

ह है कि विवादित आराजी का विना मौका अवलोकन किये सन् 1970 में प्रतिवादीगण के पूर्वज
बूंटी के हक में कतई खिलाफ कानून व मौका आवंटन कर दिया था। जिसे वादी के द्वारा प्रस्तुत
अपील में श्रीमान जिला कलक्टर भरतपुर के अपने निर्णय दिनांक 21.03.1972 द्वारा निरस्त कर
दिया और वादी के पूर्वज पिता लीला के विधिक कब्जे की पुष्टि की तथा पत्रावली में वादी के
पिता लीला के हक में आवंटन करने हेतु आवंटन अधिकारी श्रीमान उपजिला कलक्टर भरतपुर को
रिमांड किया तथा पट्टा निरस्त कर दिया।

. यह है कि उक्त विवादित आराजी पर वादी के पूर्वज व वादी के पिता काफी लम्बे समय से काबिज चले आ रहे है। वादी अनूसुचित जनजाति का भूमिहीन कृषक है जिसके संबध में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का निर्णय दिनांक 19.06.1985 अवलोकनीय है। जिसके द्वारा पत्रावली का तहसीलदार नदबई के लिए वादी के पिता लीला के हक में विनियमन की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। इससे जाहिर है कि उक्त निर्णय वादी के लम्बे अन्तराम से कायम कब्जे का स्पष्ट प्रमाण है । इस प्रकार वादी अपने हक में आराजी मुतदाबिया पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कानूनन इनटाइटल्ड है और प्रतिवादीगण के नाम दर्ज गलत इन्द्राजात को कलमजन करा पाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि वादपत्र वादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे।

(अ) यह है कि विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 02 वादपत्र वादपत्र की आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के नाम चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी व तर0 प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 को मुताबिक हक व हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(ब) यह है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी में मदाखलत व मजाहमद न करें, रहनवय मुन्तकिल न करे एवं कब्जा काश्त में दखल न करे एवं वादी का वादी की आराजी बेदखल न करे तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं ऐसा कोई कार्य न करे जिससे वादी के अधिकारों पर जबाल आये।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तरतीवी प्रतिवादी संख्या 12 व 13 की ओर से श्री ओमप्रकाश पाराशर एड0

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश किया गया। असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 की ओर से कोई भी पक्षकारान न्यायालय हाजा उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता संख्या 101 वाके ग्राम महरमपुर (प्रदर्श–1), नकल फोटोप्रति न्यायालय श्रीमान जिलाधीश महोदय भरतपुर दिनांक 21.03.1972 (प्रदर्श–02), नकल फोटोप्रति न्यायालय श्रीमान अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 19.06.1985 (प्रदर्श–03), नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 (प्रदर्श–4), नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम महरमपुर (प्रदर्श–5) मिशल नकल संवत 2028 खसरा नम्बर 222 वाके ग्राम महरमपुर, नकल जमाबंदी खसरा नं. 222 संवत 2009–2013 (प्रदर्श–6) नकल खसरा गिरदावरी खसरा नं0 222 वाके ग्राम महरमपुर (प्रदर्श–7)एवं मौखिक बयान के रूप में वादी की ओर से शपथ पत्र यादराम मीणा पुत्र लीला जाति मीना निवासी महरमपुर तहसील नदबई के पेश किये गये।

हमने वादी वकील की ओर से बहस सुनी गई। वादी वकील की ओर से वादपत्र में अंकित तथ्यों को पुनः दोहराया गया है। वादी वकील का कहना है कि हाल आराजी खाता संख्या 101 के आराजी खसरा नम्बरान 310 रकवा 0.32 हैक्टे वाके ग्राम महरमपुर तहसील नदबई में स्थित है। हाल बंदोवस्ती संवत 2060 में बनाये गये विवादित आराजी खसरा नं. 310 रकवा 0.32 हैक्टे., जिसका साबिक खसरा नं. 222 बंदोवस्त से पूर्व था। जो संवत 2028 के बंदोवस्त में साबिक खसरा नं0 151 रकवा 0.14 व 152 रकवा 1.07 से बनाया गया था। यह आराजी वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिस पर वह गत 70 साल से काबिज है। वर्ष 1970 में प्रतिवादीगण के पिता खूंटी को आवंटन किया गया। परन्तु उक्त आराजी वादीगण के कब्जे में रही है। न्यायालय श्रीमान जिलाधीश महोदय भरतपुर के यहां प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भमि आवंटन नियम के तहत् प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण नियमानुसार भूमि आवंटन सलाहकार समिति से स्वीकृति प्राप्त कर विनियमन करने हेतु एस0डी0ओ0 भरतपुर को रिमांड किया गया। अपीलांट लीला पुत्र पहुंचा उर्फ रामचंद जाति मीना साकिन महरमपुर द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया गया एवं अपीलांट के पक्ष में नियमों के तहत् यदि विनियमन अपीलांट के पक्ष में किया जा सके तो विधिवत कार्यवाही की जावे। पुनः नियमन की कार्यवाही पेंडिग है जो भूमि आवंटन सलाहकार समिति आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत की जानी है। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी को मुताबिक वादपत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने बहस को सुना, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो पाया कि हाल आराजी खाता संख्या 101 के आराजी खसरा नम्बरान 310 रकवा 0.32 हैक्टे वाके ग्राम महरमपुर तहसील नदबई में स्थित है। हाल बंदोवस्ती संवत 2060 में बनाये गये विवादित आराजी खसरा नं. 310 रकवा 0.32 हैक्टे., जिसका साबिक खसरा नं. 222

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

त से पूर्व था। जो संवत 2028 के बंदोवस्त में साबिक खसरा नं0 151 रकवा 0.14 व 152 1.07 से बनाया गया था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन करने पर स्पष्ट है विवादित आराजीयात की किस्म आवंटन से पूर्व राजस्व अभिलेख में चारागाह दर्ज थी। दर्श–5)। उक्त विवादित आराजीयात का आवंटन नियमानुसार नहीं किया गया एवं न ही आवंटन हेतु आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत भूमि आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस प्रकार उक्त विनियमन नियमानुसार प्रतीत नहीं होता है। इसलिए उक्त आवंटन जो प्रतिवादीगण के पूर्वज खूंटी के हक में किया गया था, तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त आवंटन/विनियमन को निरस्त किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर विवादित आराजी की किस्म पनुः चारागाह दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खाता संख्या 101 के आराजी खसरा नम्बरान 310 रकवा 0.32 हैक्टे वाके ग्राम महरमपुर तहसील नदबई पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के नाम चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर विवादित आराजी की किस्म पुनः चारागाह दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। उक्तनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। डिकी पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते